न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्याः-114 / 2024 दर्ज तिथिः-04.09.2024

1. डूंगराराम पुत्र बींजाराम
   जाति जटिया निवासी सीलगण ,तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा

..................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमना
2. भोमाराम पुत्र बींजाराम
3. मांगीलाल पुत्र वीरमाराम
4. प्रतापाराम पुत्र वीरमाराम
5. जाति जटिया निवासी सीलगण ,तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः-श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः-सरकारी पैरोकार

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-131,136
राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956

-:निर्णयः-

निर्णय तिथिः-28.04.202

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131,136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी 51 रकबा 4.4434 है0 वाके ग्राम सीलगण पटवार हल्का भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता वींजाराम ने अपने जीवन काल में उक्त खेत के 1/2 हिसससे को अपने नाम रखते हुए शेष आराजी को अपने तीनों पुत्र डू[illegible] [illegible] करवा दिया तथा नामान्तकरण इन तीनों के नाम पारित करवा दिया। नामान्त[illegible]ण [illegible] बाद जमाबंदी कायम करते समय डू की जगह उ लिख दिया गया। जिससे प्र[illegible] नाम डूंगराराम की जगह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 09:59:13 IST
Reason: SelfAttested

उगराराम हो गया। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम डूंगराराम पुत्र बींजाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम डूंगराराम पुत्र बींजाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण अनुपस्थित लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में डूंगराराम पुत्र बींजाराम के स्थान पर उगरा पुत्र बींजा दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में उगरा पुत्र बींजा दुरूस्त कर सही नाम डूंगराराम पुत्र बींजाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैंनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070–2073 वाके ग्राम सीलगण पटवार हल्का भीमथल के नवीन खाता संख्या 42 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
डग्रा पुत्र बींजा डूंगराराम पुत्र बींजा भोमा पुत्र बींजा वीरमा पुत्र बींजा	1/6 1/6 1/6 1/6	51 मौजा सीलगण	4.4434 है0

5. प्रकरण में प्रार्थी का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
उतराधिकारी प्रमाण पत्र	डूंगराराम पुत्र बींजाराम
अनसुचित जनजाति प्रमाण पत्र	डूंगराराम पुत्र बींजाराम
आधार कार्ड	डूंगराराम पुत्र बींजाराम
भारत निर्वाचन पहचान पत्र	डूंगराराम पुत्र बींजाराम

6. प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

1. उग्रा पुत्र बींजा व डूंगराराम पुत्र बींजाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।

2. प्रार्थी का पहचान कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र ,उतराधिकारी प्रमाण पत्र आदि [illegible] डूंगराराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 09:59:13 IST
Reason: SelfAttested

बींजाराम अंकित है तथा प्रार्थी को डूंगराराम पुत्र बींजाराम से ही जाना जाता है।

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 28.04.2026 अनुसार उग्रा पुत्र बींजा व डूंगराराम पुत्र बींजाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम डूंगराराम पुत्र बींजाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यधित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **उग्रा पुत्र बींजा** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **डूंगराराम पुत्र बींजाराम** अंकन करने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.04.2026 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 09:59:13 IST
Reason: SelfAttested